मंत्रिमंडल में हो सकता है फेरबदल

सीएम डॉ. यादव की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद अटकलों का दौर शुरू

▶ मंत्री विजय शाह की हो सकती है विदाई

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 12 अगस्त. प्रदेश में एक बार फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों का दौर शुरू हो गया है. इस बार के फेरबदल में प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह की मंत्रिमंडल से विदाई भी हो सकती है.

मंगलवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. यह मुलाकात संसद भवन परिसर में केंद्रीय गृह मंत्री के कक्ष में हुई. सबसे बड़ी बात यह कि जब मुख्यमंत्री डॉ. यादव दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे, तब प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह भी संसद भवन परिसर में थे. उनकी दिल्ली में संसद भवन में परिसर में उपस्थिति का की टाइमिंग ने कई सवालों को जन्म दिया है. दरअसल कुंवर विजय शाह के विवादित बयान वाले मामले की जांच कर रही एसआईटी बुधवार 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त तक जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश पहले ही दे दिये थे.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 28 जुलाई को कुंवर विजय शाह के मामले में तीखी टिप्पणी की थी और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगने पर कड़ी फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट में इसी माह 18 अगस्त को सुनवाई भी होगी. यहां बता दें कि कुंवर विजय शाह ने भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. उनके बयान पर जबलपुर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था और शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये थे. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, तो एक बार फिर हाईकोर्ट ने कमजोर धाराएं लगाने और शाह को बचाने को लेकर पुलिस पर कड़ी टिप्पणी की थी और नाराजगी जाहिर की थी.

> सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने प्रदेश के चुनिंदा मंत्रियों सहित देशभर में भाजपा शासित राज्यों के ऐसे मंत्रियों से वीसी के माध्यम से चर्चा की, जो कि मेन पॉवर से जुड़े हैं. दरअसल भाजपा कुछ समय बाद विकास कार्यों को लेकर सेवा पखवाड़ा मनाने की तैयारी में है.

विजय शाह के मामले ने राष्ट्रीय सुर्खियां भी बटोरी. यहां तक कि संसद के मानसून सत्र के दौरान भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये मामला संसद में उठाया और विजय शाह के इस्तीफे की मांग की. सुप्रीम कोर्ट के दबाव के साथ ही राजनीतिक दलों का दबाव भी बढ़ गया है. ऐसे में किसी समझौते के तहत शाह का इस्तीफा लिया जा सकता है. बताया जा रहा है कि यदि शाह मंत्रिमंडल से इस्तीफा देते हैं तो बाद में उनके बेटे को उनके उत्तराधिकारी के तौर पर विधानसभा का टिकट दिया जा सकता है.

दो से तीन नये लोगों को मिल सकता है मंत्रिमंडल में मौका

प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा? ये बड़ा सवाल है. संभावना जताई जा रही है कि श्राद्ध पक्ष शुरू होने से पहले प्रदेश में ये काम पूरा कर लिया जाएगा. मिले संकेतों के मुताबिक मंत्रिमंडल में दो से तीन नये विधायकों को शामिल किया जा सकता है. इसमें क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का ध्यान रखा जायेगा. अभी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 31 मंत्री, राज्य मंत्री शामिल हैं. कुल 35 शामिल हो सकते हैं. यानी अभी 4 की गुंजाइश बनी हुई है. फिर भी एक से दो सीट खाली ही रखी जायेगी. कमजोर परफार्मेंस वाले मंत्रियों के विभागों में मामूली फेरबदल हो सकता है, लेकिन उन्हें हटाने की संभावना कम है.

राजनीतिक नियुक्तियों में अब पहले एल्डरमेन से होगी शुरुआत

वैसे तो राज्य सरकार ने पिछले माह डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया को पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का अध्यक्ष बनाकर राजनीतिक नियुक्तियों की शुरुआत कर दी है, लेकिन अब प्रदेश स्तर की बड़ी नियुक्तियों से पहले शुरुआत नीचे से एल्डरमेनों की नियुक्ति से की जाएगी, जिससे कि प्रदेश में संगठन चुनाव की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले नेताओं का उपकृत किया जा सके, बाद में निगम, मंडल और आयोग में नियुक्तियों का दौर शुरू होगा.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय मंत्री प्रधान को भेंट की वैदिक घड़ी

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनके निवास पर मुलाकात की. इस दौरान उन्हें वैदिक घड़ी भेंट की. दोनों के बीच राज्य के विकास को लेकर चर्चा भी हुई.

कल प्रदेश के 83 लाख किसानों को मिलेंगे दो-दो हजार रुपए

▶ सीएम बलराम जयंती पर करेंगे राशि अंतरित

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 12 अगस्त. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 14 अगस्त को मंडला में बलराम जयंती पर प्रदेश के किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना वर्ष 2025-26 की दूसरी किस्त का किसानों के खाते में अंतरण करेंगे. इस योजना से प्रदेश के 83 लाख किसान हितग्राही लाभांवित होंगे. योजना के तहत प्रत्येक किसान के खाते में दो-दो हजार रुपये की राशि अंतरित की जायेगी.

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना सितंबर 2020 से लागू की गई है. इस योजना में लाभांवित किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रूपये की सहायता प्रदान की जाती है. यह राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अलावा है. मार्च 2025 तक 83 लाख से अधिक किसान हितग्राहियों को 17,500 करोड़ का वित्तीय समर्थन दिया गया है. कार्यक्रम में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान को प्रतिपादित करने संबंधी गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा.

दादाजी धाम मंदिर में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनेगा

भोपाल. राजधानी के पटेल नगर रायसेन रोड स्थित दादाजी धाम मंदिर में श्रीश्री 1008 श्री दादाजी गुरुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट की श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव दादाजी गुरुदेव जन्मोत्सव के संबंध में तैयारी को लेकर मीटिंग हुई. ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवरतन नामदेव ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 16 अगस्त दिन शनिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव एवं श्री दादाजी गुरुदेव जन्मोत्सव एवं मीराबाई का प्राणप्रतिष्ठा दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जायेगा. लड्डू गोपाल, भगवान श्रीकृष्ण एवं राधा जी का विशेष आर्कषक श्रृंगार वस्त्रों एवं आभूषणों से सजाया जाऐगा. मंदिर में आकर्षक लाइटिंग की जाएगी.

ओबीसी वर्ग को हक दिलाने सरकार प्रतिबद्ध

भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 12 अगस्त. प्रदेश में सरकारी भर्तियों में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद प्रदेश भाजपा मीडिया प्रभारीआशीष उषा अग्रवाल ने प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता है कि ओबीसी वर्ग को उनका हक मिले. पिछड़े वर्ग के व्यापक हित के लिए आज मध्यप्रदेश की

भाजपा सरकार को ऐतिहासिक सफलता मिली है. उन्होंने कहा कि मप्र सरकार की दलीलों को स्वीकारते हुए उच्चतम न्यायालय ने अब टॉप ऑफ द बोर्ड यानी प्रतिदिन सुनवाई के लिए भाजपा सरकार की याचिका को नियत कर दिया है. एक वह समय था कि कमलनाथ स्वयं गलत आंकड़े अपनी सरकार के समय देते थे. न्यायालय में वकील भी खड़ा नहीं करते थे, ताकि पिछड़े वर्ग को उनका हक नहीं मिले. आज यह समय है जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व की मप्र की भाजपा सरकार प्रतिबद्धता से, सामूहिकता से सुनिश्चित करने में लगी है कि पिछड़े वर्ग को उनका हक मिले और वह दिन दूनी, रात चौगुनी तरक्की करें.

बीयू में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार समारोह

▶ मंत्री इंदर सिंह परमार, अपर मुख्य सचिव कार्यक्रम में हुए शामिल

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 12 अगस्त. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय परिसर में मंगलवार को राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार/प्रशस्ति वितरण समारोह आयोजित हुआ.

ज्ञान विज्ञान भवन परिसर में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने पुरस्कार वितरित किए. कार्यक्रम में सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र एवं पदक देकर सम्मानित किया गया. राष्ट्रीय सेवा योजना को मध्यप्रदेश में संचालित करने वाले सभी सातों विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम समन्वयक कार्यक्रम में उपस्थित रहे. मंत्री परमार ने इस मौके पर कहा कि विश्व बंधुत्व की भावना ही भारत का दृष्टिकोण रही है— वसुधैव कुटुंबकम भारतीय परंपरा का ध्येय मंत्र है. कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने की. अपर मुख्य सचिव ने कार्यक्रम में युवा पीढ़ी को राष्ट्र का भविष्य बताते हुए कहा कि 1500 से अधिक गोद ग्रामों के कायाकल्प में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

इस अवसर पर आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग प्रबल सिपाहा, उप कार्यक्रम सलाहकार, क्षेत्रीय निर्देशालय भोपाल डॉ. अशोक कुमार श्रोती, कुलपति, बीयू डॉ. सुरेंद्र कुमार जैन एवं डॉ अनिल शर्मा कुलसचिव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. समारोह में भरत शरण सिंह, अध्यक्ष निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग, पुरस्कृत किए जाने वाले प्राचार्य, कार्यक्रम अधिकारी, जिला संगठक, एवं स्वयंसेवक उपस्थित रहे.

> डॉ मनोज अग्निहोत्री राज्य एन एस एस अधिकारी ने स्वागत भाषण तथा पुरस्कार की अवधारणा प्रस्तुत की. कुलपति प्रो. सुरेंद्र कुमार जैन ने अपने संबोधन में कहा कि देश के भविष्य को गढ़ने की नर्सरी है राष्ट्रीय सेवा योजना. कार्यक्रम का संचालन बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. अनंत कुमार सक्सेना एवं ई टी आई प्रशिक्षक, भोपाल राहुल सिंह परिहार द्वारा किया गया. मंच संचालन की भूमिका वरिष्ठ स्वयंसेवक अक्षय तिवारी एवं दुर्गा मिश्रा ने निभाई.

सीआईएसएफ में 5 सालों तक हर साल होगी 14 हजार भर्ती

भोपाल. भारत सरकार गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की अधिकृत संख्या को मौजूदा 1,62,000 से बढ़ाकर 2,20,000 करने की मंजूरी दे दी है. भोपाल में पदस्थ सीआईएसएफ कमानडेंट अतुल बनोत्रा ने इस पर जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि मप्र के साथ ही देश से युवाओं को फोर्स में आने का मौका मिलेगा. देश में औद्योगिक सुरक्षा को और मज़बूती देने और आर्थिक विकास को सुरक्षित आधार देने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए सरकार ने इस पर निर्णय लिया है. बल की संख्या में यह वृद्धि रोज़गार के नए अवसर भी लेकर आ रही है. वर्ष 2024 में 13,230 नए कर्मियों की भर्ती की गई है और 2025 में 24,098 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है. सीआईएसएफ कमानडेंट ने बताया कि अनुमान है कि अगले पाँच वर्षों तक हर साल लगभग 14,000 नए जवान सीआईएसएफ में शामिल किए जाएँगे.

पूंजीगत व्यय बढ़ाने वाले देश के तीन राज्यों में शामिल हुआ मप्र

▶ गुजरात, उप्र के साथ मप्र को भी मिली उपलब्धि

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 12 अगस्त. मप्र ने चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में पूंजीगत व्यय में वृद्धि वाले देश के प्रथम तीन राज्यों में अपना स्थान बना लिया है. सीएजी के आंकडों के अनुसार देश के 16 राज्यों ने पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में वृद्धि दर्ज की है. गुजरात की 65 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश की 42 प्रतिशत और मप्र की उपलब्धि 41 प्रतिशत है. साल-दर-साल वृद्धि के साथ मप्र का यह सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन है.

उल्लेखनीय है कि केन्द्र और राज्यों ने मिलकर वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में पूंजीगत व्यय को तेज़ी से बढ़ाया है. केंद्र सरकार के अप्रैल से जून 2025 के बीच के अंतरिम पूंजीगत व्यय के आंकड़े 52 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाते हैं, जो 2,75,132 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 26 के लिए निर्धारित 11.2 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का 25 प्रतिशत खर्च पहले ही कर दिया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में केवल 16 प्रतिशत खर्च हुआ था. सीएजी डेटा के अनुसार जिन 23 राज्यों के आंकड़े उपलब्ध हैं, उन्होंने पहली तिमाही में 99,478 करोड़ रुपये का कुल पूंजीगत व्यय किया है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 81,494 करोड़ रुपया था. इसमें 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

द्रुत कार्य बल ने निकाली तिरंगा रैली

बड़ों और बच्चों में जगाई गई देश भावना

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 12 अगस्त. केंद्रीय रिजर्व पुलिस के द्रुत कार्य बल 107 बटालियन ने तिरंगा बाईक रैली मंगलवार को निकाली. बल ने हर घर तिरंगा अभियान के दौरान भोपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रैली से जागरुक किया.

द्रुत कार्य बल के द्वितीय कमान अधिकारी मनीष गोरख महाले के नेतृत्व में आम लोगों और विद्यालयों में देशभक्ति की भावना जागृत करने एवं राष्ट्रीय ध्वज वितरण के उद्देश्य से रैली निकाली गई. यह रैली ग्राम बगरोदा, रापडिया, कटारा हिल्स क्षेत्रों से गुजरी. जिसमें श्वेता राणा द्वितीय कमान अधिकारी, अमन कुमार सहायक कमांडेंट एवं बटालियन के समस्त अधिकारी और जवान सम्मिलित हुए. इस अवसर पर भारत सरकार द्वारा निर्देशित हर घर तिरंगा अभियान साथ ही केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्रुत कार्य बल की जानकारी मनीष गोरख महाले ने स्कूली बच्चों को दी. कटारा इलाके में संचालित स्कूलों में बच्चों को देशभक्ति से प्रेरित कर मार्गदर्शन किया गया. साथ ही बच्चों के उज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई. इस अवसर पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने भी बाईक रैली को सुचारू रूप से संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

आज छिंदवाड़ा में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

भोपाल. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक हेमंत खण्डेलवाल 13 अगस्त को छिंदवाड़ा में आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दोपहर एक बजे छिंदवाड़ा के इमलीखेड़ा चौक से बस स्टेंड तक तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे.

तिरंगा रैली

भोपाल. पुलिस ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा वाहन रैली मंगलवार को निकाली. शहर के मिंटो हाल से रैली शुरू हो कर न्यू मार्केट, माता मंदिर सहित क्षेत्रों से गुजर कर रैली का समापन मिंटो हाल चौराहे पर हुआ.

जनजातीय कार्य विभाग में शिक्षकों को वेतन के लाले

भोपाल. प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग में व्याप्त लापरवाही का शिक्षक शिकार हो रहे हैं. विभाग के सिस्टम की लापरवाही से शिक्षकों को वेतन के लाले पड़े हुए हैं. वर्ष 2018 और 2022 में विशिष्ट विद्यालय परीक्षा से चयनित विभागीय शिक्षकों को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में केंद्रीय शिक्षकों की नियुक्ति के बाद नियमानुसार राज्य के अन्य विद्यालयों में भेजा जाना था, लेकिन केंद्रीय शिक्षकों के कार्यभार संभालने के बाद भी विभाग ने एक वर्ष तक कोई प्रतिस्थापन नहीं किया. इस वर्ष स्थानांतरण नीति के तहत हुए तबादलों में भी सैकड़ों शिक्षक अब तक अपनी नई नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं. सबसे शर्मनाक हालात उन शिक्षकों के हैं, जिन्हें पीएफएमएस के माध्यम से वेतन मिलता था.

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल

वीर सावरकर, जोन क्र. 04 (मंगलवारा)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम भोपाल जोन क्र. 04 के वार्ड क्र. 16 में स्थित मैकेनिकल मार्केट भोपाल में भूखंड क्रमांक 27 का नामातरण किए जाने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाना है, जिनके नामों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	लीज आईडी	संपतिकर आईडी	आवंटी का नाम	स्थान एवं भूखंड	आकार	नामांतरण हे तु प्रस्तुत आवेदक का नाम	नामांतरण का आधार
1.	L000004301	P000034819	पंचम विश्वकर्मा/ भोजनारायण विश्वकर्मा	27, मैकेनिकल मार्केट	1200 वर्गफीट	श्रीमती फरहा खान पत्नी श्री रिजवान खान	आवेदन पत्र/ रजिस्ट्री आधार पर

उपरोक्त भूखंड के नामांतरण पर किसी भी व्यक्ति/बैंक/ संस्था को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो सूचना पत्र के 15 दिवस के भीतर जोन कार्यालय क्रमांक 04, वार्ड क्रमांक 16 के कार्यालय में शपथ पत्र मय साक्ष्य के प्रस्तुत करें. नियत समयावधि में यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो यह माना जावेगा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है और प्रकरण में विधिवत नामांतरण हेतु कार्यवाही कर दी जावेगी.

जोनल अधिकारी
जोन क्रमांक-04
नगर पालिक निगम, भोपाल

सू.क्र. 2052/025/026

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस: केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन: +91 44 4564 4000, फैक्स: +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13(2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13(2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	34417924	संपत्ति के विरुद्ध ऋण	26.07.2025	रु. 4,35,073.25/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. गोविंद सिंह चौधरी 2. ओंकार प्रसाद किरकर 3. प्रीति किरकर

संपत्ति का पता: संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, क्षेत्रफल 0.016 हेक्टेयर, खसरा संख्या 354/4 से 1200 वर्ग फुट (111.52 वर्ग मीटर), मौजा राहतवाड़ा, पी.एच.एन. 41, बी.सं. 306, तहसील- बनखेड़ी, जिला- होशंगाबाद, मध्य प्रदेश-461990, और सीमा- पूर्व- घनश्याम पटेल की ज़मीन, पश्चिम- रोड, उत्तर- हरकिशन मेहरा की ज़मीन, दक्षिण- अंतराम कुशवाहा की ज़मीन.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13(2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13(2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
2.	28199461	संपत्ति पर ऋण	26.07.2025	रु. 2,73,552.43/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम:- 1. लियाकत अली 2. रुकय्या बी

संपत्ति का पता- सभी वह भूखंड का टुकड़ा, कुल क्षेत्रफल 15*15 = 750 वर्ग फुट (69.67 वर्ग मीटर), गाँव- कुरावर, तहसील- नरसिंहगढ़, जिला- राजगढ़, मध्य प्रदेश, पीएच नंबर 128, पुराना पीएच नंबर 59, में स्थित है और इसकी सीमा इस प्रकार है- पूर्व- सड़क 10 फुट, पश्चिम- सड़क 10 फुट, उत्तर- विक्रेता की ज़मीन, दक्षिण- अमीन भाई का भूखंड.

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13(4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत बिक्री/ पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

दिनांक: 13.8.2025
स्थान: मध्यप्रदेश

JANA SMALL FINANCE BANK

(A Scheduled Commercial Bank)

रजिस्टर्ड आफिस:- फेयरवे, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एंड 12/2 बी, ऑफ डोमलुर, कोरामंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बंगलौर-560071,

ब्रांच आफिस:- प्लाट नं.131/01, ग्राउंड फ्लोर, एम.पी. नगर, जोन-2, भोपाल(एम.पी.)-462011

सरफेसी एक्ट, 2002 की सेक्शन 13(2) के तहत डिमांड नोटिस

जबकि आप, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर और बंधककर्ताओं ने अपनी अचल संपत्तियों को बंधक रखकर जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड से ऋण लिया है. आप सभी द्वारा किए गए चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को गैर निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड अधिनियम के तहत एक सुरक्षित ऋणदाता होने के नाते, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ताओं को कॉलम नंबर 2 में उल्लिखित राशि को नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज के साथ चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया, लेकिन विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को नोटिस नहीं दिया जा सका.

क्र.	देनदार/सह-देनदार/ बंधक का नाम	लोन एकाउंट नं. व लोन राशि	लागू की जाने वाली सुरक्षा का विवरण	एनपीए तिथि व डिमांड नोटिस तिथि	देय राशि रु./ अनुसार में
1.	1. श्री सलीम खान आत्मज जहूर खान 2. श्री जहूर खान आत्मज अली हुसैन 3. श्रीमती विस्मिला बी पत्नी जहूर खान	लोन खाता नं. 46500430000260 लोन राशि रु. 4,00,000/-	**अचल संपत्ति-** आबादी खसरा संख्या 95 वाली भूमि का वह पूरा टुकड़ा, कुल क्षेत्रफल 81.00 वर्ग मीटर, निर्माण सहित, पी.एच.सं. 37, ग्राम पंचायत लखिया, जनपद पंचायत आष्टा, तहसील जावर एवं जिला सीहोर (मध्य प्रदेश) की सीमा के भीतर, ग्राम लखिया में स्थित. पूर्व में- जहूर खान, पश्चिम में- कमरुद्दीन, उत्तर में- रोड और दक्षिण में- अशरफ खान द्वारा घिरा हुआ.	02-07-2025 और 07-08-2025	रु. 4,08,278.34 (रु. चार लाख आठ हजार दो सौ अट्ठहत्तर और पैसा चौंतीस मात्र) 04.08.2025 तक

इसलिए, कॉलम संख्या 2 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर और बंधककर्ता को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उन्हें इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर सभी संबंधित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता के विरुद्ध कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई कुल राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उक्त राशि कॉलम संख्या 6 में दर्शाई गई तारीख को संबंधित ऋण खाते के संबंध में देय पाई जाती है. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भविष्य के ब्याज और अन्य राशियों के साथ कुल राशि, जो भुगतान की तारीख तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड कॉलम संख्या 4 में वर्णित संपत्तियों पर सुरक्षा हित लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा. कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन ऐसे अधिकारों और उपायों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किया गया है, जो कानून के तहत उक्त वित्तीय के उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ताओं के खिलाफ जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड को उपलब्ध हैं, आपसे आगे यह ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको सुरक्षित ऋणदाता की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त सुरक्षा का निपटान या उससे निपटने या सुरक्षित परिसंपत्ति की बिक्री, पट्टे या अन्यथा हस्तांतरण करने से रोका/निषिद्ध किया गया है.

दिनांक -13.08.2025, स्थान- भोपाल
हस्ता. अधिकृत अधिकारी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड